



भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY



फोटो गैलरी, हुसैनबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि
**Heritage Bye-Laws for Picture Gallery, Hussainabad,
Lucknow, Uttar Pradesh**

फोटो गैलरी, हुसैनाबाद, लखनऊ , उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि
**Heritage Bye-Laws for Picture Gallery, Hussainabad,
Lucknow, Uttar Pradesh**



विषय-सूची		
अध्याय I		
प्रारंभिक		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1
1.2	परिभाषाएं	1-3
अध्याय II		
प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की पृष्ठभूमि		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	4
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	4
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	4
अध्याय III		
केंद्रीय संरक्षित संस्मारक-“फोटो गैलरी, हुसैनाबाद, बारादरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश” का स्थान एवं अवस्थिति		
3.1	संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	5-6
3.2	संस्मारक की संरक्षित चारदीवारी	6
	3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के अभिलेखों के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:	6
3.3	संस्मारक का इतिहास	6-9
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, तत्व, सामग्रियाँ आदि)	9
3.5	वर्तमान स्थिति	9
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन	9
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले और कभी-कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या	9
अध्याय IV		
स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो		
4.1	विद्यमान क्षेत्रीकरण	10
4.2	स्थानीय निकायों के वर्तमान दिशानिर्देश	10
अध्याय V		
प्रथम अनुसूची एवं कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना		
5.1	संस्मारक की रूपरेखा योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11
	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11-12

	5.2.3 हरित/खुले क्षेत्रों का विवरण	12
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ, आदि	13
	5.2.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार)	13
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन	13
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	13
	5.2.8 संस्मारक तक सुसाध्यता	13
	5.2.9 अवसरचरणात्मक सेवाएं	13
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण	14
अध्याय VI		
संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	15
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	15
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	16
6.4	पहचान किये जाने वाले भू-उपयोग	16
6.5	संरक्षित संस्मारक के अतिरिक्त अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष	16
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	16
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	16
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	16-17
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां	17
6.10	संस्मारक से और विनियमित क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज	17
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	17
6.12	स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा उपलब्ध विकासात्मक योजना	17
6.13	भवन संबंधी मापदंड	17-22
6.14	आगतुक सुविधाएं और साधन	22
अध्याय VII		
स्थल विशिष्ट संस्तुतियां		
7.1	स्थल विशिष्ट संस्तुतियां	23
7.2	अन्य संस्तुतियां	23

CONTENTS		
CHAPTER I		
Preliminary		
1.1	Short title, Extent and Commencements	24
1.2	Definitions	24-26
CHAPTER II		
Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958		
2.1	Background of the Act	27
2.2	Provision of Act related to Heritage Bye-Laws	27
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	27-28
CHAPTER III		
Location and Setting of the Centrally Protected Monument - Picture Gallery, Husainabad Baradari, Lucknow, Uttar Pradesh”		
3.1	Location and Setting of the Monument	29-30
3.2	Protected boundary of the Monument	30
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:	30
3.3	History of the Monument	30-33
3.4	Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.)	33
3.5	Current Status	
	3.5.1 Condition of the Monument – Condition Assessment	33
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	34
CHAPTER IV		
Existing Zoning, if any, in the Local area Development Plan		
4.1	Existing Zoning	35
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	35
CHAPTER V		
Information as per First Schedule and Total Station Survey		
5.1	Contour Plan	36
5.2	Analysis of surveyed data:	36
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	36
	5.2.2 Description of built up area	36-37
	5.2.3 Description of green/open spaces	37-38
	5.2.4 Area covered under circulation – roads, footpaths etc.	38
	5.2.5 Height of buildings (zone-wise)	38
	5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings	38

	5.2.7 Public Amenities	38
	5.2.8 Access to the Monument	39
	5.2.9 Infrastructure Services	39
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies	39
CHAPTER VI		
Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument		
6.1	Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument	40
6.2	Sensitivity of the Monument	40-41
6.3	Visibility from the Protected Monument and visibility from Regulated Areas	41
6.4	Land-use to be identified	41
6.5	Archaeological heritage remains other than Protected Monument	41
6.6	Cultural landscapes	41
6.7	Significant natural landscapes	42
6.8	Usage of open space and constructions	42
6.9	Traditional, historical and cultural activates	42
6.10	Skyline as visible from the Monument and from Regulated Areas	42
6.11	Traditional Architecture	42
6.12	Developmental plan as available by the local authorities	42
6.13	Building related parameters	43-47
6.14	Visitor facilities and amenities	48
CHAPTER VII		
Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	49
7.2	Other Recommendations	49

	अनुलग्नक/ANNEXURES	
अनुलग्नक-I Annexure-I	फोटो गैलरी, हुसैनाबाद बारादरी, लखनऊ का सर्वेक्षण प्लान Survey Plan of Picture Gallery Husainabad Baradari –Lucknow	50
अनुलग्नक- II Annexure- II	फोटो गैलरी, हुसैनाबाद, लखनऊ की अधिसूचना Notification of Picture Gallery Husainabad Baradari, Lucknow	51-54
अनुलग्नक-III (क) Annexure-III (a)	फोटो गैलरी, लखनऊ की स्थल योजना दर्शानेवाला अभिलेखीय मानचित्र Archival Map showing the Site Plan of Picture Gallery, Lucknow	55
अनुलग्नक-III (ख) Annexure-III (b)	फोटो गैलरी, लखनऊ की ऊंचाई दर्शाने वाला अभिलेखीय चित्र Archival Drawing showing the Elevation of Picture Gallery, Lucknow	56
अनुलग्नक-IV(क) Annexure-IV(a)	लखनऊ महायोजना 2031 Lucknow Master Plan 2031	57
अनुलग्नक-IV(ख) Annexure-IV(b)	लखनऊ महायोजना 2031 – नियोजन खंड Lucknow Master Plan 2031 – Regulation Zones	58
अनुलग्नक-IV(ग) Annexure-IV(c)	लखनऊ महायोजना 2031 – विरासत क्षेत्र Lucknow Master Plan 2031 – Heritage Zones	59
अनुलग्नक-IV(घ) Annexure-IV(d)	हुसैनाबाद विरासत क्षेत्र के साथ लखनऊ मास्टर योजना का भूमि उपयोग मानचित्र Land-use Map of Lucknow Master Plan 2031 overlaid with the Husainabad Heritage Zone	60
अनुलग्नक-V Annexure-V	विगत समय में और वर्तमान में स्मारक से विचारों के तुलनात्मक चित्र Comparative Images of the views from the Monument in the Past and Present	61-64
अनुलग्नक-VI Annexure-VI	संस्मारक के आस-पास के क्षेत्र के छायाचित्र Images of the Area Surrounding the Monument	65-68

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक, “फोटो गैलरी, हुसैनाबाद, बारादरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश” के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि जिन्हें यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा **01.12.2021** को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ई की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित धरोहर उप-विधि बनाता है, नामतः:

“फोटो गैलरी, हुसैनाबाद, बारादरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश”

अध्याय I
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

- (i) इन उप-विधियों को केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक, “फोटो गैलरी, हुसैनाबाद, बारादरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश”, के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2023 कहा जाएगा।
- (ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।
- (iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।
- (iv) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

- (1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुनः लिखी गई हैं:-

- (क) “प्राचीन संस्मारक” से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफनगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकात्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -
- (i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,
 - (ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,
 - (iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
 - (iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;
- (ख) “पुरातत्वीय स्थल और अवशेष” से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्तरूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-
- उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
 - उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;
- (ग) “अधिनियम” से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;
- (घ) “पुरातत्व अधिकारी” से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;
- (ङ) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (च) “सक्षम प्राधिकारी” से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:
- बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;
- (छ) “निर्माण” से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुनःनिर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

- (ज) “तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)” से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लॉट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;
तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;
- (झ) “सरकार” से आशय भारत सरकार से है;
- (ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित “अनुरक्षण” के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरुद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;
- (ट) “स्वामी” के अंतर्गत हैं-
- (i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियाँ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा
- (ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;
- (ठ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) “प्रतिषिद्ध क्षेत्र” से धारा 20 (क) के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ढ) “संरक्षित क्षेत्र” से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (ण) “संरक्षित संस्मारक” से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (त) “विनियमित क्षेत्र” से इस अधिनियम की धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित (किया गया विनियमित क्षेत्र) अभिप्रेत है;
- (थ) “पुनःनिर्माण” से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;
- (द) “मरम्मत और पुनरुद्धार” से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुनःनिर्माण नहीं होंगे।
- (2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएसआर) अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बाँटा गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, और विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की धारा 20ड और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में केंद्रीय संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य संचालन) नियम, 2011 के नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप नियमों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और नवीकरण के लिए अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनः निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिये गये अनुसार आवेदन का ब्यौरा दिया गया है।

क. कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था, की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार करना चाहता है अथवा विनियमित क्षेत्र में किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत अथवा नवीकरण, जैसा भी मामला हो, करना चाहता है तो वह सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

ख. कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का स्वामी है और ऐसी भूमि पर बने भवन अथवा संरचना का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसा भी मामला हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

ग. सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।


अध्याय III

केंद्रीय संरक्षित संस्मारक - “फोटो गैलरी, हुसैनाबाद, बारादरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का स्थान एवं अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति


संस्मारक जीपीएस निर्देशांक $26^{\circ}52'27.14''$ उत्तरी अक्षांश एवं $80^{\circ}54'27.18''$ पूर्वी देशांतर पर स्थित है। फोटो गैलरी को हुसैनाबाद बारादरी के नाम से भी जाना जाता है और यह हुसैनाबाद कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, यह दक्षिण-पूर्व में बाड़ा इमामबाड़ा से शुरू होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में जामा मस्जिद तक हुसैनाबाद ट्रस्ट रोड के मुख्य हिस्से के साथ-साथ लगभग 1.5 किमी तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र कई संस्मारकों से भरा हुआ है, जिनमें केंद्रीय संरक्षित स्मारक जैसे रूमी दरवाजा, छोटा इमामबाड़ा या हुसैनाबाद इमामबाड़ा और एक ब्रिटिश कब्रिस्तान है और साथ ही घंटाघर और सतखंडा जैसी अन्य उल्लेखनीय ऐतिहासिक इमारतें भी मौजूद हैं। पूर्व में कुदियाघाट और गोमती नदी है।

ये संस्मारक 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए थे और ये संस्मारक अवध के नवाबों और उनकी राजधानी लखनऊ के वैभव और भव्यता का एक जीता-जागता उदाहरण हैं। बारादरी के बगल में दक्षिण में हुसैनाबाद टैंक है, दक्षिण-पूर्व में घंटाघर है और दक्षिण-पश्चिम में सतखंडा है। पूर्व में कुदिया घाट और गोमती नदी है।



चित्र 1: हुसैनाबाद लखनऊ में फोटो गैलरी की अवस्थिति दर्शाता सैटेलाइट छायाचित्र

आज, हुसैनाबाद लखनऊ के पुराने शहर का केंद्र और हृदय है, जो एक निर्दिष्ट विरासत क्षेत्र भी है और इसका एक विरासत जोन में पुनर्विकास किया गया है। यह शहर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है और यहां देश भर से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं।



चित्र 2: हुसैनाबाद परिसर में सभी केंद्रीय संरक्षित संस्मारको के समूह को दर्शाता गूगल मानचित्र

3.2 संस्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

फोटो गैलरी हुसैनाबाद बारादरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की संरक्षित चारदीवारी अनुलग्नक-I में देखी जा सकती है।

3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अभिलेखों के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

फोटो गैलरी हुसैनाबाद बारादरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजपत्र अधिसूचना अनुलग्नक-II में देखी जा सकता है।


3.3 संस्मारक का इतिहास:

इस संस्मारक का निर्माण वर्ष 1838 ई. में अवध के तीसरे नवाब मोहम्मद अली शाह (1837-1842) द्वारा ग्रीष्मकालीन आवास के रूप में किया गया था। इस इमारत को 'बारादरी' के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ 12 दरवाजे है और पुराने लखनऊ में मोहल्ला हुसैनाबाद में लाल रंग के भवनों में स्थित है। कुछ

समय बारादरी तालुकदार हॉल के नाम से भी जानी जाती थी जिस समय यह ब्रिटिशों द्वारा अवध के तालुकदारों के अंजुमन को सौंपा गया था। तथापि बाद में इसे 'फोटो गैलरी' के नाम से जाना जाता था जिसमें अवध के नवाबों के चित्र प्रदर्शित किए गए थे जो यूरोप के एक यात्री कलाकार हैरिसन, डावलिंग और गारवेट तथा एक भारतीय कलाकार डी. एस. सिंह द्वारा 1882-1885 के बीच पेंट किए गए थे। चित्रों की आंखें, सिर और जूते दर्शक की नजर के साथ-साथ घुमते प्रतीत होते हैं। यह भी माना जाता है कि पेंटिंग हाथी की चमड़ी पर की गई थी और रंग के मुख्य घटक के रूप में हीरे का प्रयोग किया गया था। 'फोटो गैलरी' का वास्तव में गलत नाम का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह गैलरी स्मारक के एक छोटे हिस्से में ही है।


इस बारादरी के सामने, मोहम्मद अली शाह ने 1839 में एक शानदार **तालाब (हुसैनाबाद टैंक) बनवाया**, जिसके दोनों कोनों पर एक छोटी मस्जिद और एक मेल खाता **हमाम (स्नानघर) था। यह एक बड़ी बहुभुजीय रचना है**, जो पूर्व और पश्चिम की ओर बड़े जलाशयों से जुड़ी हुई है। चारों ओर से सीढ़ियों की एक कतार पानी के किनारे तक जाती है। यहां एक मीना बाज़ार, एक **सराय (विश्राम गृह)**, घोड़ों के लिए एक **अस्तबल और एक फीलखाना (हाथियों के लिए अस्तबल) भी बनाया गया था।**

x



चित्र 3: हुसैनाबाद संस्मारकों की अवस्थिति दिखाता एक अभिलेखीय मानचित्र

मोहम्मद अली शाह ने लखनऊ को वास्तव में एक प्राचीन सांस्कृतिक शहर-बेबीलोन बनाने का संकल्प लिया था। 1839 में उन्होंने वर्तमान घंटाघर के पड़ोस में बेबीलोन की मीनार या तैरते बगीचे से मिलती-जुलती एक इमारत का निर्माण शुरू किया और इसे **सतखंडा** या सात मंजिला टॉवर नाम दिया, लेकिन 1842 में मुहम्मद अली शाह की मृत्यु तक इसका निर्माण कार्य केवल पांचवीं मंजिल तक ही पहुंच पाया था। लखनऊ के पुराने शहर क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखने के लिए उन्होंने इसे एक वॉच-टावर के रूप में बनवाया था। टावर में कई विशाल त्रि-धनुषाकार खिड़कियाँ और हिस्से हैं। सर्पिल सीढ़ियों की एक कतार इमारत की विभिन्न मंजिलों तक जाती है।



चित्र 4: हुसैनबाद संस्मारकों के समूह की अवस्थिति दिखाते छायाचित्र

हुसैनबाद इमामबाड़ा, जिसे आमतौर पर छोटा इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है। इस इमामबाड़ा का निर्माण 1837 से 1842 के बीच नवाब मुहम्मद अली शाह ने कराया था। यह इमारत शिया मुस्लिमों के लिए एक मण्डली हॉल के रूप में कार्य करने के साथ-साथ नवाब और उनकी माँ के लिए एक मकबरे के रूप में भी बनाई गई थी। इमारत के शीर्ष पर सोने का पानी चढ़ा हुआ एक प्रमुख गुंबद है, जो भिन्न प्रकार से राजसी मेहराबों, मीनारों और छोटे गुंबदों से सजा है। मकबरे का अंदरूनी हिस्सा भव्य झूमरों, सोने के दर्पणों, रंगीन प्लास्टर के साथ-साथ चांदी के मुंह वाले सिंहासन से सुसज्जित है।

नवाब मुहम्मद अली शाह ने वर्ष 1842 ई. में शुरू कराया था परन्तु दुर्भाग्यवश 1842 ई. में निर्माण की अवधि के दौरान नवाब की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद 1845 ई. में उनकी रानी - मलका जहां साहिबा द्वारा मकबरे को पूरा कराया गया। दक्षिण दिशा पर इमामबाड़ा मलका जहां के नाम का अधूरा इमामबाड़ा देखा जा सकता है। इस इमामबाड़ा का निर्माण अवध की रानी द्वारा शुरू किया गया था परन्तु सैनिक विद्रोह के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

केवल पांच वर्ष के छोटे से असें में ही मोहम्मद अली शाह ने लखनऊ को रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर शहर बना दिया था। हुसैनबाद गेट से रूमी दरवाजा की ओर एक चौड़ी सड़क निकाली गई जो चौक के नाम से प्रसिद्ध हुई। सड़क के दोनों ओर सुन्दर दिखने वाली इमारतें बनी हुई थीं। रूमी दरवाजा, आसफ-उद-दौला इमामबाड़ा और उसकी मस्जिद इस सड़क के एक छोर पर थी और दूसरी तरफ सतखंडा और हुसैनबाद गेट थे, कई ऊंची इमारतें नए इमामबाड़े को घेरे हुए थीं और उसके बगल में फोटो गैलरी स्थित है।

रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा और असफ़ी मस्जिद मिलकर भव्य पैमाने और भव्यता का एक वास्तुशिल्प मिश्रण बनाते हैं। इसे नवाब आसफ-उद-दौला ने अठारहवीं शताब्दी में बनवाया था जब उन्होंने वाध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। उनके पार्थिव शरीर को परिसर के वास्तुकार किफायत उल्ला के शव के साथ इमामबाड़े के अंदर दफनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि नवाब ने ऐसे समय में रोजगार सृजित करने के लिए इमामबाड़ा परिसर का निर्माण शुरू किया था जब भयंकर सूखा और उसके बाद अकाल पड़ा था।

हुसैनाबाद घंटा-घर दक्षिण-पूर्व दिशा में फोटो गैलरी के नजदीक स्थित है। घंटाघर का निर्माण 1880 में शुरू हुआ और 1887 में पूरा हुआ। इसकी ऊंचाई 221 फीट है और इसमें भारत की सबसे बड़ी घड़ी लगी है।

फोटो गैलरी की बालकनी शहर के सुंदर मनोरम दृश्य देने के लिए जानी जाती थी, जो वर्तमान समय में भी उपरोक्त सभी संस्मारकों को एक साथ दिखाती है।

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, तत्व, सामग्री, आदि):

फोटो गैलरी जिसे बारादरी के नाम से भी जाना जाता है, 12 दरवाजों वाली एक दो मंजिला इमारत है। यह एक गुलाबी और टेराकोटा रंग की इमारत है, जो चूने के गारे से बनी लाखौरी ईंटों से बनी है और चूने के प्लस्टर से तैयार की गई है। भूतल में नुकीले मेहराब हैं जिनमें से प्रत्येक के शीर्ष पर एक कंगूरा है जबकि ऊपरी मंजिल में सात मेहराबदार छेद हैं। चौड़े मेहराबों में यूरोपीय प्रभाव देखा जा सकता है जो बांसुरीदार खंभों पर टिके हुए हैं, जो लाखौरी ईंटों और नकली पत्थरों के प्लस्टर से निर्मित हैं। संरचना एक सपाट छत से ढकी हुई है लेकिन मुख्य हॉल को प्राकृतिक रूप से हवादार बनाने के लिए चोटीदार ढलान वाली छतें हैं। मुख्य हॉल का उपयोग अब फोटो आर्ट गैलरी के रूप में किया जाता है। बारादरी के दोनों ओर परवर्ती परिवर्धन देखने को मिलते हैं। मेहराब, खंभे, छतें और पैरापेट संकेत देते हैं कि ये संरचनाएं बाद के चरण की हैं। पश्चिम की संरचनाएं अब हुसैनाबाद ट्रस्ट के कार्यालय के रूप में उपयोग की जाती हैं। हुसैनाबाद बारादरी की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें तालाब के सामने ऊपरी मंजिल के गलियारे में लोहे के खंभे हैं और इनका उपयोग पहली बार नवाबों की इमारतों में किया गया था। (अनुलग्नक-III-ख देखें)

3.5 वर्तमान स्थिति

3.5.1 संस्मारकों की स्थिति-स्थिति का आकलन:

केंद्रीय संरक्षित संस्मारक और क्षेत्र (सीपीएम) और उसके संरक्षित क्षेत्र का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का विशिष्ट कार्यक्षेत्र है। संरक्षित संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली तस्वीरें अनुलग्नक- 6 में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले और कभी-कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या:

बहुत कम आगंतुक स्मारक में आते हैं क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। इस स्थल को एक महत्वपूर्ण हरित खुले स्थान में विकसित किए जाने की क्षमता है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.1 विद्यमान क्षेत्रीकरण:

- लखनऊ मास्टर प्लान 2031, धारा 8.11.9 तीन विरासत क्षेत्रों को नामित करती है, जैसा कि अनुलग्नक IV-ग) में मानचित्र में दिखाया गया है, अर्थात्:
 - (i) हुसैनाबाद परिसर
 - (ii) कैसरबाग परिसर
 - (iii) ला मार्टिनियर परिसर
- केंद्रीय संरक्षित संस्मारक परिसर (धरोहर क्षेत्र) फोटो गैलरी, हुसैनाबाद, बारादरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
- लखनऊ मास्टर प्लान 2031 के अनुसार लखनऊ विकास क्षेत्र को 31 विनियमन क्षेत्रों (अनुलग्नक-IV-ख) में विभाजित किया गया है। ये विनियमन क्षेत्र आम तौर पर सदृश्य क्षेत्र की मुख्य सड़कों की सीमा तक ही सीमित होते हैं। मास्टर प्लान 2031 के अनुसार अलग-अलग विनियमन क्षेत्रों की विस्तृत विकास योजनाओं के प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किए गए हैं।
 - फोटो गैलरी, हुसैनाबाद, बारादरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है।

4.2 स्थानीय निकायों के वर्तमान दिशानिर्देश :

लखनऊ मास्टर प्लान 2031, अध्याय 8, खंड 8.11.9 शीर्षक ऐतिहासिक इमारतों/स्थलों के लिए प्रावधान

(1) ऐतिहासिक इमारतों/स्थलों के लिए वास्तुशिल्पीय नियंत्रण

महत्वपूर्ण क्षेत्रों की इमारतों के लिए मुख्य सड़कों के सामने वाली इमारतें अथवा ऐतिहासिक महत्व वाली संरचनाओं के निकट के भवनों के लिए वास्तुशिल्पीय/कला आधारित निर्माण योजनाओं का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) योजना नियंत्रण

निम्नलिखित नियंत्रण धरोहर क्षेत्रों (जैसा कि अनुलग्नक IV-ग में मानचित्र में दिखाया गया है) और ऐतिहासिक स्मारकों/इमारतों पर लागू होंगे:

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अधिसूचित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों पर भारत सरकार के संगत प्रावधान लागू होंगे।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकार्ड में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची, नियम 21(1)/कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.1 फोटो गैलरी हुसैनाबाद बारादरी, लखनऊ की रूपरेखा/सर्वेक्षण योजना अनुलग्नक-I में देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण

5.2.1 प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- संस्मारक का कुल संरक्षित क्षेत्र 1379.978 वर्गमीटर है।
- संस्मारक का कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 47429.157 वर्गमीटर है।
- संस्मारक का कुल विनियमित क्षेत्र 282850.982 वर्गमीटर है।

मुख्य विशेषताएं

एक दूसरी केंद्रीय संरक्षित स्मारक, हुसैनाबाद इमामबाड़ा अथवा छोटा इमामबाड़ा आंशिक रूप से फोटो गैलरी के विनियमित क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम दिशा में आती है।

हुसैनाबाद क्षेत्र का पुनर्विकास वर्ष 2014-2017 में विरासत परिसर के रूप में किया गया था जिसमें सड़कों को चौड़ा करना, भूदृश्य, स्मारकों की प्रकाश व्यवस्था करना, संकेतक लगाना और स्ट्रीट लगाना, सार्वजनिक प्लाजा बनाना शामिल है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

- उत्तर: शीश महल नामक घनी आवासीय संरचना जो अधिकांशतः जी+1 से जी+2 मंजिल की कम ऊंची आवासीय इमारतें हैं तथा कम चौड़ी लेन हैं।
- दक्षिण: दक्षिण में सीढ़ीदार हुसैनाबाद टेंक है और दक्षिण-पूर्व दिशा में हुसैनाबाद घंटाघर है। (अनुलग्नक-VI में छायाचित्र 6.3 और 6.4 देखें)
- पूर्व: स्मारक की उत्तर-पूर्व दिशा में पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। शीश महल मोहल्ला के भाग के रूप में उत्तर-पूर्व दिशा में प्रतिषिद्ध क्षेत्र का किनारा बनता है। इस दिशा में आवास कम ऊंचाई की भूतल की संरचनाएं हैं जिनमें कुछ बहुत पुरानी लाखौरी ईंटों की संरचनाएं शामिल हैं।
- पश्चिम: प्रतिषिद्ध क्षेत्र का किनारा शीश महल मोहल्ला के कम ऊंचाई वाले निवासों की लाइन है। स्मारक परिसर के समीप अनवर नवाब रोड के साथ पार्किंग सुविधा उपलब्ध है।

विनियमित क्षेत्र:

- **उत्तर:** एक सघन निर्मित संरचना जिसमें जी+1 से लेकर जी+3 मंजिल तक की मध्य ऊंचाई वाली आवासीय इमारतें शामिल हैं (छायाचित्र 6.7 और 7.8 देखें)। यह क्षेत्र शीश महल परिसर का हिस्सा है जो नवाबों का पूर्ववर्ती महल था, जिसके अवशेष इस दिशा में मौजूद हैं (छायाचित्र 6.5 और 6.6 देखें)। तब से यह क्षेत्र व्यवस्थित और अव्यवस्थित रूप से विकसित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप खराब बुनियादी ढांचे और तंग सड़कें और उप-गलियां हैं। ऐतिहासिक शीश महल तालाब भी इसी दिशा में स्थित है, जो सघन रूप से निर्मित बहु-आवासीय आवासों से घिरा हुआ है। आंतरिक सड़कों के किनारे छोटी-छोटी दुकानें हैं।
- **दक्षिण:** संस्मारक के दक्षिण में हुसैनाबाद रोड के किनारे एक मंजिला संरचनाएं, ज्यादातर छोटी दुकानें और भोजनालय देखे जा सकते हैं (छायाचित्र 6.11 और 6.12 देखें) जबकि दक्षिण-पश्चिम दिशा में हुसैनाबाद इमामबाड़ा (छोटा इमामबाड़ा), एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक का हिस्सा, है (छायाचित्र 6.9 और 6.10 देखें)। दक्षिण में रईस मंजिल के परिसर में एक मस्जिद और रौज़ा-ए हज़रत मुस्लिम नाम का एक धार्मिक संगठन मौजूद है।
- **पूर्व:** पूर्व में घंटाघर प्लाजा से सटा हुआ दुर्गादेवी रोड है जो उत्तर-पश्चिम में शीश महल तालाब को दक्षिण में हुसैनाबाद रोड से जोड़ता है। दुर्गादेवी सड़क के किनारे तदर्थ अस्थायी बस्तियाँ हैं जो आंशिक रूप से टिन-शेड के आवरण से ढकी हुई हैं। स्मारक के उत्तर-पूर्व दिशा में दुर्गादेवी रोड के किनारे शीश महल अपार्टमेंट (बेसमेंट + 4 मंजिल) के नाम से एक नया अपार्टमेंट ब्लॉक बनाया गया है। दक्षिण-पूर्व दिशा में 33/11 केवी सब-स्टेशन घंटाघर, लाजपत नगर विद्युत सब-स्टेशन और एक निर्माणाधीन संग्रहालय और फूड कोर्ट ब्लॉक मौजूद हैं।
- **पश्चिम:** सतखंडा टॉवर, जो हुसैनाबाद विरासत परिसर का एक हिस्सा है, प्रतिषिद्ध क्षेत्र के ठीक बाहर मौजूद है। इस दिशा में शीश महल की आवासीय और व्यावसायिक इमारतों, गेंद खाना और राम गंज के सघन निर्माण मौजूद है, जो संकरी गलियों के साथ-साथ अनियोजित और सुव्यवस्थित विकास की है।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

- **उत्तर:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में उत्तर-पूर्व दिशा में एक खुले पार्किंग स्थान के साथ फोटो गैलरी के सामने एक पार्क मौजूद है। इसके अलावा, इस दिशा में विनियमित क्षेत्र में कोई पर्याप्त खुला या हरा-भरा स्थान नहीं है।
- **पूर्व:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशा में घंटा घर पार्क और सार्वजनिक प्लाजा जो हुसैनाबाद विरासत परिसर का भी हिस्सा हैं, मौजूद हैं (छायाचित्र 6.4 देखें)। पूर्व में दुर्गा-देवी रोड के किनारे खुली भूमि का एक विशाल खंड है, इसका भूमि उपयोग लखनऊ मास्टर प्लान 2031 में पार्क और पार्क की खुली जगह के रूप में चिन्हित किया गया है, जिस पर वर्तमान में अस्थायी बस्तियां हैं। आगे पूर्व में गोमती नदी के किनारे कुदिया घाट है।
- **दक्षिण:** हुसैनाबाद रोड के साथ हुसैनाबाद विनियमित क्षेत्र में दक्षिण-पूर्व दिशा में एलाइड ट्रस्ट से संबंधित खुली भूमि का एक विशाल हिस्सा मौजूद है। (छायाचित्र 6.13 देखें)
- **पश्चिम:** सतखंडा के सामने हरे-भरे स्थान का एक छोटा सा भाग प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद है। कुछ पुराने पेड़ों के अलावा, विनियमित क्षेत्र में कोई पर्याप्त खुला या हरा-भरा स्थान नहीं है।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

फोटो गैलरी-हुसैनाबाद टैंक और घंटाघर का पार्क तथा प्लाजा परिसर दक्षिण-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में हुसैनाबाद रोड, दक्षिण-पूर्व से उत्तर दिशा में दुर्गा-देवी रोड और दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा में अनवर नवाब रोड से घिरा हुआ है। हुसैनाबाद विरासत परिसर में पड़ने वाली इन सड़कों के हिस्सों को दोतरफा बनाया गया है और यातायात की गति को नियंत्रित करने के लिए कोबलस्टोन से तैयार किया गया है। सड़कों के किनारे पैदल यात्रियों के लिए पेड़ों से युक्त चौड़े फुटपाथ हैं। शीशमहल के घने आवासीय क्षेत्र की संकरी गलियों को पेवर ब्लॉकों से तैयार किया गया है।

5.2.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार):

- उत्तर: मुख्य रूप से आवासीय भवन जी+1 से जी+4 तक हैं, अधिकतम ऊंचाई लगभग 17.5 मीटर है।
- दक्षिण: मुख्य रूप से जी+1 और जी+2 की आवासीय और वाणिज्यिक इमारतें हैं, अधिकतम ऊंचाई लगभग 11.5 मीटर है।
- पूर्व: विद्युत सब-स्टेशन लगभग 8.5 मीटर ऊंचाई की जी+1 संरचना है, जबकि निर्माणाधीन फूड कोर्ट और संग्रहालय क्रमशः जी+1 और जी+2 हैं, जिनकी ऊंचाई 8.5 मीटर से 11.5 मीटर है।
- पश्चिम: मुख्य रूप से आवासीय भवन जी+1 से जी+4 तक हैं, अधिकतम ऊंचाई लगभग 17.5 मीटर है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर कोई राज्य संरक्षित स्मारक नहीं है। मुहम्मद अली शाह के मकबरे (हुसैनाबाद या छोटा इमामबाड़ा) का एक हिस्सा जो एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, दक्षिण-पश्चिम दिशा में विनियमित क्षेत्र में आता है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र में स्थित घंटाघर, हुसैनाबाद टैंक और सतखंडा हुसैनाबाद एलाइड ट्रस्ट के अधीन हैं, जिनकी देखभाल जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

शहरी पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में घंटा घर पार्क में फोटो गैलरी के पूर्व में नए शौचालय ब्लॉक विकसित किए गए हैं। शौचालय ब्लॉकों में पीने के पानी की सुविधा भी मौजूद है। स्थापित किया जाने वाला संग्रहालय और फूड कोर्ट ब्लॉक निर्माणाधीन हैं, जो दुर्गादेवी रोड के साथ फोटो गैलरी के दक्षिण-पूर्व में प्रस्तावित हैं। आगंतुकों के लिए उत्तर-पूर्व दिशा में निर्दिष्ट पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। घंटा घर परिसर में दिशा संकेत, स्ट्रीटलाइट और बेंच भी मौजूद हैं।

5.2.8 संस्मारक तक पहुंच:

रूमी दरवाजा से आने पर पूर्व में दुर्गादेवी रोड से और हुसैनाबाद गेट से आने पर पश्चिम में अनवर अहमद रोड से सीधे स्मारक तक पहुंचा जा सकता है।

5.2.9 अवसंरचना सेवाएँ (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

आगंतुकों के लिए फोटो गैलरी और घंटा घर परिसर में स्मारक के पास पार्किंग उपलब्ध कराई जाती है। स्मारक के पास उपलब्ध शौचालयों में जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी मौजूद है।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

- लखनऊ मास्टर योजना (मास्टर प्लान)-2031 और संशोधित शहर विकास योजना 2040 के अनुसार, हुसैनाबाद में फोटो गैलरी स्थल हुसैनाबाद परिसर विरासत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। (अनुलग्नक IV-ग)
- फोटो गैलरी, हुसैनाबाद स्थल लखनऊ मास्टर प्लान 2031 (अनुलग्नक IV-ख) के अनुसार क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। प्राधिकरण द्वारा अभी तक विस्तृत क्षेत्रीय योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं।

अध्याय- VI

संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व

6.1 वास्तुकला, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व:

'फोटो गैलरी' उन स्मारकों के समूह का हिस्सा है जो सभी मिलकर हुसैनाबाद के बड़े ऐतिहासिक परिसर का निर्माण करते हैं। हुसैनाबाद परिसर वास्तुकला और सौंदर्यशास्त्र का एक शानदार नमूना है जो अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान अवध के नवाबों के संरक्षण में लखनऊ में विकसित हुआ था। परिसर में मौजूद स्मारक विभिन्न नवाबों के शासनकाल से संबंधित हैं और बड़ा इमामबाड़ा से लेकर रूमी दरवाजा परिसर तक वास्तुकला की उदार शैली को दर्शाते हैं, जो पारसी सौंदर्यशास्त्र से प्रभावित थे और दूसरे छोर पर दिल्ली में मुगल युग की जामा मस्जिद से प्रेरित जुमा मस्जिद तक है। घंटाघर, जिसे भारत के सबसे ऊंचे घंटाघरों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है, ब्रिटिश काल का एक तत्व है जबकि सतखंडा और फोटो गैलरी लखनऊ के इतिहास में एक समय को दर्शाते हैं जिसने दुनिया के पश्चिमी हिस्से से महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। साथ में, हुसैनाबाद परिसर प्रतिष्ठित वास्तुशिल्प चमत्कारों का एक समूह है जो लखनऊ को एक अद्वितीय क्षितिज प्रदान करता है।

परिसर के अन्य स्मारकों के साथ-साथ फोटो गैलरी गोमती नदी के तट के नजदीक स्थित है और ऊंचे सड़क बांध के कारण नदी तट के साथ संबंध स्थापित करना अब मुश्किल है, हालांकि नदी के साथ ऐतिहासिक संबंध बहुत मज़बूत रहा होगा।

6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (जैसे विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

दुर्गादेवी रोड और कुड़िया घाट बांध रोड के बीच की भूमि का टुकड़ा वर्तमान में विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमि का टुकड़ा है। इस भूमि में विकास को विनियमित करना आवश्यक है क्योंकि यह फोटो गैलरी के दृश्यों की पृष्ठभूमि बनाता है और पूर्व में गोमती नदी के बीच स्मारक के परिसर के बीच एक मजबूत भौतिक संबंध है जो ऐतिहासिक रूप से हो सकता है। इस भूमि पर असंवेदनशील आवासीय विकास शुरू हो गया है, जिससे फोटो गैलरी का दृश्य अवरुद्ध हो गया है। दुर्गा देवी रोड के किनारे टिन शेड से अवरुद्ध अस्थायी बस्तियां और अतिक्रमण देखे जा सकते हैं। (जैसा कि अभिलेखीय मानचित्रों में देखा गया है) (छायाचित्र 6.15, 6.16 और 6.17 देखें)

स्मारक के पश्चिम में शीश महल की ऐतिहासिक शहरी बस्ती में मध्य ऊंचाई के बहु-निवास इकाइयों की तेजी से वृद्धि होने से बढ़ता दबाव भी स्पष्ट है। चूंकि कोई औपचारिक प्लॉटिंग नहीं है और घर पीढ़ियों से विभाजित पुरानी संपत्तियों पर पुनर्निर्माण का परिणाम हैं, इसलिए खाली जगह, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचा सेवाओं की गुणवत्ता की कमी है। विनियम जैसे नए निर्माणों की ऊंचाई पर प्रतिबंध आसपास के स्मारकों द्वारा और उनके द्वारा बनाई गई क्षितिज रेखा के सम्मान को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

स्मारक के दक्षिण में हुसैनाबाद रोड के किनारे वाणिज्यिक पथ के विकास को क्षेत्र के विरासत चरित्र का सम्मान करने के लिए बनाए रखने हेतु विनियमित किया जाना चाहिए। कुछ दुकानों का फुटपाथ पर अतिक्रमण हो रहा है जो न केवल सड़क के दृश्य को प्रभावित करती है बल्कि पैदल चलने वालों को भी बाधित करती है। हुसैनाबाद गेट में सतखंडा पुलिस चौकी (छायाचित्र 6.9 देखें) जैसी विरासत संरचनाओं में असंगत और असंवेदनशील परिवर्धन न केवल विरासत संरचनाओं की दृश्य अखंडता को खराब करता है, बल्कि गेटों की संरचनात्मक स्थिरता को भी नुकसान पहुंचाता है।

6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संस्मारक दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्मारक के दक्षिण-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम तक का क्षितिज पिछले कुछ वर्षों में काफी बदल गया है, जैसा कि अभिलेखीय तस्वीरों से तुलना करने पर दिखाई देता है, हालांकि, इसने ऐतिहासिक विशेषताओं को काफी हद तक बनाए रखा है। स्मारक से उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ आवासीय भवनों के निर्माण के कारण विशाल विस्तार की पृष्ठभूमि से समझौता किया गया है। (अनुलग्नक V देखें)

6.4 पहचान किए जाने वाले भू-उपयोग :

लखनऊ मास्टर प्लान 2031 के अनुसार फोटो गैलरी परिसर का भूमि उपयोग और शीश महल कॉलोनी (स्मारक के उत्तर-पश्चिम में) के कुछ हिस्से 'ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान' की श्रेणी में आते हैं। विद्यत सब-स्टेशन के भूमि-उपयोग को 'पावर स्टेशन' के रूप में चिह्नित किया गया है और नदी के किनारे कुड़िया घाट बांध रोड से परे भूमि के टुकड़े को 'पार्क और खुले स्थान' के रूप में चिह्नित किया गया है। विनियमित क्षेत्र की पश्चिमी दिशा में शीश महल कॉलोनी के अन्य हिस्सों को 'आवासीय' भूमि-उपयोग नामित किया गया है।

6.5 संरक्षित संस्मारक के अतिरिक्त अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

स्मारक के आसपास अब तक कोई पुरातात्विक धरोहर के अवशेष ज्ञात नहीं हैं। हालाँकि, इस स्थल पर पृथ्वी की परतों में दबे पुरातात्विक अवशेष हो सकते हैं जो आगे के शोध और उत्खनन का विषय हो सकते हैं। इसलिए, आसपास के क्षेत्र में कोई भी निर्माण एएसआई की देखरेख में किया जाना चाहिए।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

यह स्मारक एक बड़े सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है, जिसमें अवध के नवाबों द्वारा गोमती नदी के संदर्भ और अवस्थान में बनाए गए कई ऐतिहासिक स्मारक शामिल हैं, जैसा कि अभिलेखीय मानचित्रों में देखा गया है। इन स्मारकों का लखनऊ शहर के सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य इतिहास से गहरा संबंध था। नदी की स्थापना के साथ स्मारकों का यह जुड़ाव पिछले कुछ वर्षों में बदल गया है और इसमें बाधा उत्पन्न हुई है।

वर्तमान संदर्भ में, फोटो गैलरी घंटाघर परिसर में एक नया सांस्कृतिक स्थान उभरा है जिसमें नए डिजाइन किए गए सार्वजनिक पार्क और प्लाजा शामिल हैं। यह एक जीवंत सार्वजनिक चौराहा बन गया है, जहां पूरे शहर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और सार्वजनिक जमावडा होता है। इससे स्थानीय लोगों में अपनेपन की भावना बढ़ी है और यह शहर के समकालीन सांस्कृतिक ताने-बाने का हिस्सा बन गया है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूदृश्य जो सांस्कृतिक भूदृश्य का हिस्सा बनते हैं और स्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

फोटो गैलरी पूर्व में गोमती नदी के निकट स्थित है। हालाँकि फोटो गैलरी के परिसर में या पूरे हुसैनाबाद परिसर में नदी की कोई स्पष्ट दृश्यता या अवस्थिति नहीं है, लेकिन जैसा कि अभिलेखीय मानचित्रों में देखा गया है। यह प्रमाणित है कि इन स्मारकों की स्थापना के रूप में नदी का एक मजबूत संबंध था। भविष्य के प्रस्तावों के माध्यम से यह कनेक्शन फिर से स्थापित किया जा सकता है।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

फोटो गैलरी के चारों ओर भूमि के कई खुले हिस्से हैं जिन्हें इन स्मारकों के संदर्भ और अवस्थिति को बनाए रखने के लिए भविष्य के प्रस्तावों और योजनाओं में खुली भूमि के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। दुर्गा देवी रोड और

गोमती नदी के बीच जमीन का खाली हिस्सा अतिक्रमण और अवैध निर्माण के लिए संवेदनशील है। इन क्षेत्रों में विकास को नियन्त्रण में रखा जाना चाहिए और स्मारकों की दृश्य अवस्थिति और अखंडता में बाधा डालने वाले किसी भी प्रस्ताव को निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह स्मारक एक चित्र गैलरी है और इसे देखने के लिए दैनिक आधार पर काफी पर्यटक आते हैं। चित्र गैलरी और घंटाघर के परिसर में स्थित प्लाजा हाल के दिनों में सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के साथ एक प्रमुख सार्वजनिक सभा स्थल के रूप में उभरा है।

6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

स्मारक से हुसैनाबाद ट्रस्ट रोड की ओर देखने पर क्षितिज ऐतिहासिक स्थलों से युक्त एक शहरी क्षितिज को दर्शाता है। अनुलग्नक-V अभिलेखीय और वर्तमान चित्रों के माध्यम से क्षितिज के तुलनात्मक चित्र दिखाता है।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

पूर्ववर्ती शीश महल के अवशेष अभी भी फोटो गैलरी के उत्तर-पश्चिम में शीश महल क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं (चित्र 6.5 और 6.6 देखें) में मौजूद हैं। इसके अलावा, कुछ जीर्ण-शीर्ण लाखोरी ईंट की संरचनाएं फोटो गैलरी से उत्तर-पश्चिम की ओर देखी जा सकती हैं।


6.12 स्थानीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकासात्मक योजना:

इसे अनुलग्नक IV में देखा जा सकता है। प्राधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत विनियमन क्षेत्रों की विस्तृत क्षेत्रीय विकास योजनाएं अभी तक तैयार नहीं की गई हैं।


6.13 भवन संबंधी मापदंड:

स्मारक चित्र गैलरी हुसैनाबाद धरोहर परिसर के चार अन्य केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के करीब स्थित है, इसलिए, फोटो गैलरी की प्रतिषिद्ध और विनियमित सीमाएं दक्षिण-पश्चिम में हुसैनाबाद इमामबाड़ा के बफर जोन और फोर्ट मच्छी भवन में कब्रिस्तान के साथ मिलती होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सीमाओं के ओवरलैपिंग से विकसित क्षेत्रों के अनुसार धरोहर उप विधि तैयार की गई हैं। (चित्र 5 देखें)

इस दस्तावेज़ को समूह के अन्य स्मारकों की धरोहर उप विधियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।



चित्र 5: प्रस्तावित क्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र



चित्र 6: फोटो गैलरी के विनियमित क्षेत्र में प्रस्तावित क्षेत्रों को दर्शाने वाला चित्र

I. जोन 1 - प्रतिषिद्ध क्षेत्र -

एएमएसआर अधिनियम के अनुसार केंद्रीय संरक्षित संस्मारक के 100 मीटर के दायरे में किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

मरम्मत और नवीनीकरण:

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूल पुनः उपयोग की आमतौर पर अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, बाहरी परिवर्तन राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा जांच/एनओसी के अध्यक्षीन होंगे। परिवर्तनों में रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल हो सकता है जिसकी अनुमति तभी दी जा सकती है जबकि इमारत संरचनात्मक रूप से कमजोर या असुरक्षित हो या जब यह किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो और नवीकरण नितान्त आवश्यक हो।

निर्मित/खुले संबंधों के साथ-साथ मूल भवन शब्दावली और लेआउट का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा एनओसी के अध्यक्षीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति दी जाएगी।

संरचनाओं की मरम्मत और नवीनीकरण आस-पास के क्षेत्रों की विरासत विशेषताओं के साथ मेलखाती और अनुरूप होना चाहिए। एसीपी, एचपीएल, लैमिनेट्स, टाइलिंग आदि या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 2(ट) के अनुसार परिभाषित किया गया है, विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण के लिए अनुमति एएमएसआर अधिनियम 1958 की धारा 20 ग(2), एएमएसआर नियम, 2011 के नियम 6(IV) एवं नियम 7 के अनुसार प्रदान की जाती है। प्रकृतिक विपदाओं के मामले में पुनर्निर्माण के लिए अनुमति एएमएसआर नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार प्रदान की जाती है पुनर्निर्माण के मामले में पुराने भवन के स्थान पर नये ढांचे या भवन के निर्माण में उन्ही ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय सीमाओं का पालन किया जायेगा जैसा कि वे उस समय की मौजूदा ढांचों में थी। अग्रभाग में असंबद्ध सामग्रियों जैसे ग्लेज़िंग, धातु की क्लैडिंग, एल्यूमिनियम मिश्रित पैनल (एसीपी), उच्चदाब वाले लैमिनेट्स, आदि के प्रयोग की अनुमति नहीं है। नया ढांचा आसपास के क्षेत्र के धरोहर स्वरूप से मेल खाता और उससे संबद्ध होना चाहिए।

II. जोन 2 - विनियमित क्षेत्र I -

- क) निर्माण की ऊंचाई (छत संरचनाओं जैसे ममटी, पैरापेट आदि सहित): नए विकास या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन के लिए कुल ऊंचाई सीमा 12.5 मीटर (पैरापेट, ममटी या छत पर किसी भी अन्य सेवा सहित) से अधिक नहीं होगी।
- ख) उपयोग: कुछ वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग वाली गतिविधियों के साथ आवासीय स्वरूप को भविष्य में भी बनाए रखा जाना चाहिए।
- ग) भवन निर्माण सामग्री और अग्रभाग डिजाइन: ऊंचाई परिष्कृत और विरासत संरचनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है लेकिन बाहरी अग्रभाग को एसीपी, एचपीएल, लैमिनेट्स, टाइलिंग आदि जैसी सामग्रियों से नहीं ढका जाना चाहिए या ग्लेज़िंग की अनुमति नहीं होगी।
- बाहरी भाग स्मारकों के अनुरूप तटस्थ स्वरूप का हो सकता है जैसे कि बेज और अन्य मिट्टी के रंग जो स्मारक से एकदम विपरीतता नहीं हों।
- घ) अन्य विनियम:
- बेसमेंट निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

III. जोन 3 - विनियमित क्षेत्र II:

इस क्षेत्र के लिए विनियम किला मछी भवन के कब्रिस्तान और बड़ा इमामबाड़ा के विस्तृत उपनियमों में संदर्भित किए जाएंगे।

IV. जोन 4 - विशेष विनियमित क्षेत्र:

पश्चिम में दुर्गा देवी रोड, पूर्व में कुडिया घाट रोड और दक्षिण में हुसैनाबाद रोड के बीच घिरा हुआ भूमि क्षेत्र। भूमि का यह हिस्सा अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए विकास को विनियमित किया जाना चाहिए।

- क) उपयोग: लखनऊ मास्टर प्लान 2031 में परिभाषित भूमिउपयोग के अनुसार-, इस क्षेत्र को ऐतिहासिक और " के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए "सांस्कृतिक महत्व के स्थान, इस क्षेत्र में किसी भी आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, सार्वजनिक सुविधाओं जैसे संग्रहालय, हाट,

प्रदर्शनी स्थल, व्याख्या केंद्र, स्मारिका दुकानें, कैफेटेरिया, टिकट काउंटर, शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, खुली पार्किंग और ऐसी अन्य सुविधाओं के स्रिजन की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि यह कार्य एएसआई की निगरानी में निष्पादित किया गया है।

- ख) निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट आदि जैसी छत संरचनाओं सहित): नए विकास या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन के लिए कुल ऊंचाई सीमा 7.5 मीटर (सभी सहित) से अधिक नहीं होगी।
- ग) छत का डिज़ाइन: केवल सपाट छत के डिज़ाइन का पालन किया जाएगा। इमारतों की छत पर अस्थायी सामग्री जैसे एल्यूमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉली कार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके कोई संरचना नहीं बनाई जा सकती है।
- घ) भवन निर्माण सामग्री और अग्रभाग डिजाइन: ऊंचाई सूक्ष्म और विरासत संरचनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है लेकिन बाहरी अग्रभाग को एसीपी, एचपीएल, लैमिनेट्स, टाइलिंग आदि जैसी सामग्रियों से नहीं ढका जाना चाहिए या ग्लेज़िंग की अनुमति नहीं होगी।
- ङ) रंग: बाहरी भाग स्मारकों के अनुरूप तटस्थ स्वरूप का हो सकता है जैसे कि बेज और अन्य मिट्टी के रंग जो स्मारक के साथ एकदम विपरीत न हो।
- च) अन्य विनियम:
- बेसमेंट के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - स्टिल्ट पार्किंग या मल्टी लेवल पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

V. जोन 5 – नदी का किनारा :

यह क्षेत्र पश्चिम में कुड़िया घाट रोड द्वारा चिह्नित गोमती नदी के किनारे हरित पट्टी और घाट द्वारा सीमांकित क्षेत्र है।

- हरित और खुले स्थानों के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- स्थानों को भूदृश्य डिजाइन के साथ पार्क और नदी के किनारों के रूप में डिजाइन किया जा सकता है, सार्वजनिक प्लाजा और चौराहे, एम्फीथिएटर विकसित किए जा सकते हैं।
- स्ट्रीट लाइट, बेंच, संकेतक, खुली पार्किंग, शौचालय और पीने के पानी के प्रावधान की अनुमति दी जा सकती है।
- भविष्य के डिज़ाइन प्रस्ताव और हस्तक्षेप क्षेत्र की विरासत विशेषताओं के अनुरूप होने चाहिए और विरासत विशेषताओं से अलग नहीं होने चाहिए या उस पर हावी नहीं होने चाहिए।

VI. जोन 6 – ऐतिहासिक गलियारा:

हुसैनाबाद रोड, इमामबाड़ा रोड और दुर्गा देवी रोड (जैसा कि मानचित्र में चिह्नित है) के इंटरफेस के साथ की इमारतों क्षेत्र की संपूर्ण विरासत विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण तत्व हैं और स्मारकों के दृश्यों और परिदृश्यों को परिभाषित करने और बढ़ाने में योगदान करती हैं। इसलिए, निम्नलिखित विनियमों का पालन किया जाना चाहिए:

- क) अग्रभाग डिज़ाइन: सादे और न्यूनतम डिज़ाइन के साथ सूक्ष्म और सरल। इमारत का डिज़ाइन आसपास की मौजूदा विरासत विशेषताओं से अलग नहीं होना चाहिए या उस पर हावी नहीं होना चाहिए।

- चमकदार फिनिश और सामग्री जैसे टाइल्स, एसीपी, एचपीएल आदि को विरासत क्षेत्र की विशेषता नहीं माना जाता है और इनसे बचा जाना चाहिए।
- गलियारे के सामने वाले हिस्से पर कोई विंडो एयर कंडीशनिंग इकाई स्थापित नहीं की जाएगी।
- तारों और पाइपों (बारिश का पानी, अपशिष्ट जल, आदि) को छुपाया जाना चाहिए और आसपास के दृश्य के सामंजस्य को बाधित नहीं करना चाहिए।

- ख) **छत का डिज़ाइन:** केवल सपाट छत के डिज़ाइन का पालन किया जाएगा। इमारतों की छत पर अस्थायी सामग्री जैसे एल्यूमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉली कार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके कोई संरचना नहीं बनाई जा सकती है।
- ग) **रंग:** बाहरी भाग स्मारकों के अनुरूप तटस्थ स्वरूप का हो सकता है जैसे कि बेज और अन्य मिट्टी के रंग जो स्मारक से एकदम विपरीत नहीं हों।
- घ) **सड़कों का दृश्य:** अग्रभागों की निरंतरता सड़क परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसे किसी भी नए विकास में बनाए रखा जाना चाहिए।
- इमारत के सामने का किनारों का मौजूदा स्ट्रीट लाइन का सख्ती से पालन करेगा। बिल्डिंग लाइन से आगे कोई भी अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं होगा।
 - दुकानों के खुदरा संकेतकों के मानकीकरण के लिए एक सामान्य आकार और डिज़ाइन के टेम्पलेट (स्थानीय प्राधिकारियों की सिफारिशों के अनुसार) अपनाएं जा सकते हैं।

VII. ज़ोन 7 अस्पताल:

इस क्षेत्र के लिए विनियम आसिफ इमामबाड़ा (बड़ा इमामबाड़ा) और रूमी दरवाजा परिसर के समीप कब्रिस्तान के उप नियमों में संदर्भित किए जाएंगे।

अन्य विनियम:

बड़े स्तर की सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना जैसे मेट्रो (भूमिगत अथवा ओवरहेड), उपरिगामी सेतु, फ्लाईओवर, मल्टीलेवल पार्किंग अथवा इसी प्रकार की किसी परियोजना के निर्माण के लिए प्रस्ताव विस्तृत धरोहर प्रभाव आकलन के अध्यक्षीन होगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएं:

फोटो गैलरी में स्मारक के समीप शौचालय, पीने का पानी उपलब्ध है। संकेतक और बेंच जैसे फर्नीचर भी उपलब्ध हैं। दिव्यांगों के लिए रैम्प और ब्रेल स्थल पर उपलब्ध होने चाहिए।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

7.1 स्थल विशिष्ट संस्तुतियां:

- स्थल पर प्रामाणिक ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित वर्णनात्मक पट्टिकाएँ भी होनी चाहिए।
- ऐतिहासिक परिसर के भीतर सभी संकेतक स्मारक और उसके आसपास के विशेष स्वरूप से मेलखाते और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए।
- संकेतक इस प्रकार से लगाए गए हों कि उनसे ऐतिहासिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और न ही स्मारक का ऐतिहासिक स्वरूप कम होना चाहिए।
- धरोहर क्षेत्र के भीतर होर्डिंग, बिल के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- किसी भी संरचनात्मक क्षति से बचाने के लिए स्मारक का नियमित रखरखाव किया जाये।
- फोटो गैलरी में पदर्शित पेंटिंग और अन्य कलाकृतियों का बेहतर ढंग से रखरखाव किया जाए।

7.2 अन्य संस्तुतियां:

- धरोहर ज़ोन के अधिकार क्षेत्र और सीमाओं को स्थानीय क्षेत्र योजना में एकीकृत किया जा सकता है जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया जाता है क्योंकि स्थानीय क्षेत्र योजना मास्टर प्लान के विनियमों के साथ-साथ धरोहर नियमों के कार्यान्वयन के लिए एकल खिड़की व्यवस्था प्रदान करती है। शहरी अभिकल्प दिशानिर्देशों के साथ विन्यास योजनाओं को स्थानीय क्षेत्र योजना स्तर पर भी शामिल किया जा सकता है।
- दिव्यांगों के लिए प्रावधान निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।
- संस्मारक के चारों ओर मौजूदा शहरीकरण से प्रतिरोध बढ़ाने की दृष्टि से संरक्षित संस्मारक की आधुनिक चारदीवारी के साथ-साथ पेड़ों की अधिक स्वदेशी/स्थानीय घनी कैनोपी लगाई जानी चाहिए।
- सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और परिक्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश <https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf> पर देखे जा सकते हैं।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY**

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument “**Picture Gallery, Husainabad, Lucknow, Uttar Pradesh**” prepared by the Competent Authority, in consultation with the University School of Architecture and Planning, Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi were published on 01.12.2021, as required by sub-rule (2) of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:-

Picture Gallery, Hussainabad, Lucknow, Uttar Pradesh

CHAPTER I

Preliminary

1.1 Short title, extent and commencements:

- (i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws, 2023 of Centrally Protected Monument – **Picture Gallery, Husainabad, Lucknow, Uttar Pradesh**
- (ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.
- (iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.
- (iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, the definitions as given in the Act or the rules made thereunder have been reproduced hereunder for the sake of convenience:-
 - (a) “ancient monument” means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of

historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes:-

- (i) the remains of an ancient monument,
 - (ii) the site of an ancient monument,
 - (iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
 - (iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;
- (b) archaeological site and remains” means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:
- (i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
 - (ii) the means of access to, and convenient inspection of the area;
- (c) “Act” means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);
- (d) “archaeological officer” means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;
- (e) “Authority” means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;
- (f) “competent authority” means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

- (g) “construction” means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any reconstruction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;
- (h) “Floor Area Ratio (FAR)” means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;
- FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;
- (i) “Government” means the Government of India;

- (j) “maintain”, with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;
 - (k) “owner” includes-
 - (i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and
 - (ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;
 - (l) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
 - (m) “prohibited area” means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;
 - (n) “protected area” means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;
 - (o) “protected monument” means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;
 - (p) “regulated area” means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B of this Act;
 - (q) “re-construction” means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;
 - (r) “repair and renovation” means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;
2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The three hundred meters area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area**, the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:

Section 20E of AMASR Act, 1958 and Rule 22 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of the Applicant:

Section 20C of AMASR Act, 1958 specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

- a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.
- b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, may make an application to the

Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

- c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of the Centrally Protected Monument – Picture Gallery, Husainabad Baradari, Lucknow

3.1 Location and Setting of the Monument:

The monument is located at GPS Coordinates **Lat: N 26° 52' 27.14"**; **Long: E 80° 54' 27.18"**. Picture Gallery also known as Husainabad Baradari is part of the Hussainabad Complex, an approximately 1.5 km stretch along the main spine of the Husainabad Trust Road, starting from Bada Imambara in the south-east and extending to the Juma Masjid in south-west direction. The stretch is dotted with several monuments, including centrally protected monuments like Rumi Darwaza, Chota Imambara or Husainabad Imambara and a British cemetery along with other landmark historic structures like the Clock Tower and Satkhanda.

The monuments, built across the span of 18th and 19th centuries are a true specimen of the splendor and grandiose of the Nawabs of Awadh and their capital at Lucknow. The Baradari is flanked by Husainabad tank in the south, clock tower in south-east and Satkhanda in the south-west. On the east is the Kudiya ghat and river Gomti.




Figure 1: Satellite image showing the location of the Picture Gallery in Husainabad, Lucknow

Today, Husainabad forms the core and heart of the old city of Lucknow, which is also a designated heritage zone and has been redeveloped into a heritage precinct. It is one of the major tourist attractions in the city and witnesses huge footfall of tourists from across the country.




Figure 2: Google Map showing the cluster of all the Centrally Protected Monuments in the vicinity

3.2 Protected boundary of the Monument:

The protected boundaries of the Centrally Protected Monument - Picture Gallery Husainabad Baradari, Lucknow may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification of the Picture Gallery Husainabad Baradari, Lucknow may be seen at **Annexure-II**.

3.3 History of the Monument:

The monument was built in the year 1838 as a summer house by Nawab Mohammad Ali Shah, the third Nawab of Awadh (1837-1842). The building used to be known as ‘Baradari’ meaning ‘having 12 doorways’ and situated in the red coloured building in Mohalla Husainabad in old

Lucknow. For some time the Baradari was known as the Taluqadar Hall, when it was handed over to the Anjuman of Taluqadars of Awadh by the British. However, later it was used as a 'Picture Gallery' that displayed portraits of the Nawabs of Awadh that had been painted between 1882-1885 by visiting European artists Harrison, Dawling and Gravet and one Indian artist D.S.Singh. The eyes, heads and shoes of the portraits seem to move along the gaze of the viewer. It is also believed that the painting was done on elephant skin and that the core ingredient of the colors used is diamond. The term 'Picture Gallery' is infact a misnomer because the gallery is housed only in a small portion of the monument.

In front of this Baradari, Mohammed Ali Shah built a magnificent *Talaab* (**Hussainabad Tank**) in 1839, accompanied by a small mosque and a matching *hamam* (bath) at the two corners. It is a large polygonal composition, connected by large reservoirs on the east and west sides. A flight of steps leads down to the edge of the water from all sides. A Meena Bazaar, a *sarai* (rest house), one *astabal* for horses and one *Pheelkhana* (stables for elephants) had also been built.




Figure 3: Archival map showing the location of the Husainabad monuments

Muhammad Ali Shah had resolved to make Lucknow into veritable Babylon. In 1839 he started building in the neighbourhood of the present Clock Tower, an edifice similar to Babylon's minaret or floating garden and named it **Satkhand** or seven-storeyed tower, but it reached only its fifth storey in 1842 when Muhammad Ali Shah died. He built it as a watch-tower to provide a bird's eye view of the old city area of Lucknow. The tower has many huge triple-arched windows and compartments. A flight of spiral steps leads to different storeys of the building.




Figure 4: Images showing the setting of the cluster of Husainabad Monuments

Husainabad Imambara, more commonly known as the Chota Imambara was built between 1837 and 1842 by Nawab Muhammad Ali Shah. The structure was built both to function as a congregation hall for Shia Muslims but also as a mausoleum for the Nawab and his mother. A prominent gilded dome sits atop the building, which is otherwise rich with majestic archways, minarets and smaller domes. The interior of the mausoleum is adorned with grand chandeliers, gilded mirrors, colourful stucco as well as a silver-faced throne.¹

Construction of the **Juma Masjid** was started by Nawab Mohammad Ali Shah in the year 1839 CE, but unfortunately, in the year 1842 CE, the Nawab died during the period of construction and after his demise the mosque was completed by his queen - Malka Jahan Sahiba in the year 1845 CE. An incomplete Imambara can be seen on the southern side known as Imambara Malka Jahan. The construction of this Imambara was started by queen of Awadh but could not be completed due to Sepoy Mutiny.

¹ Hosainabad, Lucknow. Sarmaya. (2021, May 23). <https://sarmaya.in/objects/photography/hosainabad-lucknow/>

During a short period of five years only, Mohammad Ali Shah made Lucknow a very beautiful city to live in. From Hussainabad Gate towards Rumi Darwaza, a wide road was taken out which became famous by the name of Chowk. On both sides of the road, elegant looking buildings were built. Rumi Darwaza, Asaf-ud-Daula Imambara and its Masjid were on one end of this road, and on the other side Satkhanda and Hussainabad Gate were standing many high buildings encircled the new Imambara and adjacent to it were Jama Masjid.²

The **Rumi Darwaza, Bada Imamabara and Asafi Masjid** together form an architectural complex of magnificent scale and splendour. It was built by Nawab Asaf-ud-daula in the eighteenth century when he shifted the capital of Wadh from Faizabad to Lucknow. His mortal remains along with that of the architect of the complex, Kifayat Ullah are buried inside the Imambara. It is said that the Nawab began the construction of the Imambara complex to generate employment at the time when a severe drought and subsequent famine had broken out.

The **Hussainabad Clock Tower** is located in close proximity to the Picture Gallery in the south-east direction. Construction of the clock tower began in 1880 and was completed in 1887. It is 221 feet in height and contains the largest clock in India.³

The balcony of the Picture Gallery was known for giving beautiful panoramic views of the city which it continues to do even in present times.

3.4 Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The Picture Gallery, also known as *Baradari* is a double storeyed building having 12 doorways. It is a pink and terracotta coloured building, built in lakhauri bricks set in lime mortar and finished with lime plaster. The ground floor has cusped arches, each of which is crowned by a *kangura* at the apex, whereas the upper storey consists of seven arched openings. European influence may be seen in the wide arches which are supported on fluted pillars, built with lakhauri bricks and stucco in imitation stone. The structure is covered with a flat roof but ventilations have conical sloping roofs to provide natural light to the main hall. The main hall is now used as a Picture Art Gallery. On either side of the baradari later additions are seen. The arches, pillars, roofs and parapets indicate that these structures belong to a later stage. The structures on the west are now used as the office of the Hussainabad Trust.⁴ A unique feature of the Hussainabad Baradari is that it contains iron pillars in the upper storey corridor facing the talaab and this had been used for the first time in the buildings of the Nawabs. (Refer Annexure III-b)

3.5 Current Status

3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment

The maintenance and preservation of the Centrally Protected Monument (CPM) and its protected area is the exclusive domain of Archaeological Survey of India (ASI). The photographs depicting the present condition of the protected monument is appended in **Annexure –VI.**

² Tornos

³ District Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh (1904) by H.R. Nevill, ICS

⁴ Fonia, R. S. (2013). Monuments of Lucknow. Archaeological Survey of India.

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers

Very few visitors visit the monument as not many people know about it. The site has the potential to become an important green open space.

CHAPTER IV

Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans

4.1 Existing Zoning:

- The Lucknow Master Plan 2031, Section 8.11.9 designates three Heritage Zones, as shown in the map in **Annexure IV-c**, namely:
 - (i) Hussainabad Complex
 - (ii) Kaiserbagh Complex
 - (iii) La Martiniere Complex

The centrally protected monument of Picture Gallery is located in the Husainabad Complex (Heritage Zone) of Lucknow.

- As per the Lucknow Master Plan 2031, Section 8.11.11, the Lucknow development area has been divided into 31 Regulation Zones (**Annexure IV-b**). These Regulation Zones are generally confined to the boundary of the main roads of the homogeneous area. The proposals for the detailed development plans of the individual regulation zones are yet to be prepared as per the Master Plan 2031.
- The site of the Picture Gallery, Husainabad falls under the **Zone 8** of the Zonal Plan.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

In the Lucknow Master Plan 2031, Chapter 8, section 8.11.9 titled **Provisions for Historical Buildings/Sites**.

(1) Architectural Control for Historical Buildings/Sites

For buildings in important areas, buildings facing main roads or buildings near structures of historical significance, the approval of architectural/ arts based construction plans will be necessary.

(2) Planning Controls:

The relevant provisions of the Government of India shall be applicable on the Centrally Protected Monuments notified by the Archaeological Survey of India. On other listed heritage monuments, the above mentioned provisions shall be applicable.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.1 Contour Plan/Survey Plan of Picture Gallery Husainabad Baradari, Lucknow

It may be seen at **Annexure- I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

- Total Protected Area of the monument is 1379.978 sq.m
- Total Prohibited Area of the monument is 47429.157 sq.m
- Total Regulated Area of the monument is 282850.982 sq.m

Salient features:

Another centrally protected monument, Husainabad Imambara or the Chota Imambara partially falls in south-west direction in the Regulated Area of the Picture Gallery.

The Husainabad area was re-developed as a heritage complex in the year 2014-2017 which involved road widening, landscaping, lighting of the monuments, installation of signages and street lights and creation of public plazas.

5.2.2 Description of built up area:

Prohibited Area:

- **North:** Dense residential fabric known as Shish Mahal, mostly comprising of low-rise residential buildings ranging from G+1 to G+2 storeys and characterized by narrow lanes.
- **South:** In the south is the stepped Husainabad Tank and in the south-east direction is the Husainabad Clock Tower. (refer image 6.3 and 6.4 in **Annexure VI**)
- **East:** Parking facility is available in the north-east direction of the monument. Part of the Shish Mahal Mohalla forms the edge of the Prohibited area in the north-east direction. The residences in this direction are low-rise ground floor structures comprising of some very old lakhori brick structures as well.
- **West:** The edge of the prohibited area is lined by the low-rise residences of the Shish Mahal mohalla. Parking facility is available along the Anwar Nawab road adjoining the monument complex.

Regulated Area:

- **North:** A dense built fabric comprising of midrise residential buildings ranging from G+1 to G+3 storeys (refer image 6.7 and 7.8). The area is part of the Sheesh Mahal compound which was the erstwhile palace of the Nawabs, the remains of which are present in this direction (refer image 6.5 and 6.6). The area has since then developed organically and unsystematically resulting in poor infrastructure and narrow approach roads and by-lanes. The historic Sheesh Mahal pond also lies in this direction, surrounded by densely built multi-dwelling residences. There are small shops along the interior roads.
- **South:** Along the Husainabad Road to the south of the monument, single storeyed structures, mostly small shops and eateries can be seen (refer image 6.11 and 6.12) while part of the Husainabad Imambara (Chota Imambara), a centrally protected monument lies in south-west direction (refer image 6.9 and 6.10). A mosque and a religious organization by the name of Rauza-e Hazrat Muslim are present in the premises of Rais Manzil in the south.
- **East:** Adjacent to the Clock tower plaza on the east is the Durgadevi Road connecting Sheesh Mahal pond in north-west to Hussainabad road in the south. Along the Durgadevi road there are ad-hoc temporary settlements partially eclipsed by facades of tin-sheds. A new apartment block by the name of Sheesh Mahal apartments (basement + 4 storeys) have come up along the Durgadevi road in the north-east direction of the monument. 33/11 KV sub-station Ghantaghar, Lajpat Nagar electric sub-station and an under construction Museum and Food court block are present in the south-east direction.
- **West:** The Satkhanda tower, which is a part of the Husainabad Heritage Complex is present right outside the prohibited area. The dense built fabric of residential and commercial buildings of Shish Mahal, Gend Khana and Ram Ganj are present in this direction characterized by unplanned and organic development alongwith narrow streets.

5.2.3 Description of green/open spaces:

- **North:** A park is present in front of the Picture Gallery along with an open parking space in the north-east direction in the Prohibited Area. Other than that, there is no substantial open or green space in the Regulated Area in this direction.
- **East:** Ghanta ghar park and public plaza which are also part of the Hussainabad Heritage Complex are present in the east and south-east direction in the Prohibited Area (refer image 6.4). Along the Durga-devi road in the east is a vast stretch of open land, its land-use identified as park and park open space in the Lucknow Master Plan 2031, currently occupied by temporary settlements. Further east is the Kudiya Ghat along the river Gomti.
- **South:** A vast stretch of open land, belonging to the Husainabad Allied Trust is present in the south-east direction in the Regulated Area along the Husainabad road. (refer image 6.13)

- **West:** A small pocket of landscaped green space in front of the Satkhanda is present in the Prohibited Area. Apart from a few old trees, there is no substantial open or green space in the Regulated Area.

5.2.4 Area covered under circulation - roads, footpaths etc.:

The park and plaza precinct of Picture Gallery-Hussainabad tank and Clock Tower is enveloped by Hussainabad road in the south-east to south-west direction, Durga-devi road in the south-east to north direction and the Anwar Nawab road in the south-west to north-east direction. The portions of these roads falling in the Husainabad Heritage Complex are made two-way and finished in cobblestone to regulate traffic speed. Along the roads are wide footpaths dotted with trees for pedestrians. The narrow by-lanes in the dense residential area of Shish Mahal are finished in paver blocks.

5.2.5 Heights of buildings (Zone wise):

- **North:** Predominantly residential buildings ranging from G+1 to G+4, maximum height being approximately 17.5 m.
- **South:** Majorly residential and commercial buildings of G+1 and G+2, maximum height being approximately 11.5 m.
- **East:** The electric sub-station is G+1 structure of approximately 8.5 m in height whereas the under construction food court and museum are G+1 and G+2 respectively, ranging from 8.5 m to 11.5 m in height.
- **West:** Predominantly residential buildings ranging from G+1 to G+4, maximum height being approximately 17.5 m.

5.2.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There is no State Protected Monument within the Prohibited and Regulated Area. A part of Tomb of Muhammad Ali Shah (Husainabad or Chota Immabara) which is a Centrally Protected Monument comes in Regulated Area in the south-west direction. Clock Tower, Husainabad Tank and Satkhanda located in the Prohibited Area are under the Husainabad Allied Trust, looked after by the District administration.

5.2.7 Public Amenities:

New toilet blocks have been developed to the east of the Picture Gallery in the Ghanta Ghar Park as part of the urban redevelopment project. Drinking water facility is also present in the Toilet blocks. Upcoming museum and food court blocks are under construction, proposed in the south-east of the Picture Gallery along the Durgadevi road. Designated parking facility is available for visitors in the north-east direction. Direction signages, streetlights and benches are also present in the Ghanta Ghar precinct.

5.2.8 Access to the Monument:

The monument is directly accessed by Durgadevi Road on the east when approaching from Rumi Darwaza and by Anwar Ahmed Road on the west when approaching from Husainabad Gate.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

Parking is provided for the visitors near the monument in the Picture Gallery and Ghanta Ghar precinct. Water supply and solid waste management is also present in the Toilets provided near the monument.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

- According to the Lucknow Maha Yojana (Master Plan)-2031 and the Revised City Development Plan 2040, the site of the Picture Gallery in Husainabad falls under the Husainabad Complex Heritage Zone. (**Annexure IV - c**)
- Site of the Picture Gallery, Husainabad falls under **Zone 8** of the Zonal Plan as per the Lucknow Master Plan 2031 (**Annexure IV-b**). Detailed Zonal Plans are not yet prepared by the Authority.

CHAPTER VI

Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument

6.1 Architectural, historical and archaeological value:

The 'Picture Gallery' is part of the ensemble of monuments which together form the large historic complex of Hussainabad. The Hussainabad complex is a glorious specimen of the architecture and aesthetics which developed in Lucknow under the patronage of the Nawabs of Awadh during the eighteenth and nineteenth century. The monuments in the complex belong to the rule of different Nawabs and show the eclectic style of architecture ranging from the Bada Imambara and Rumi Darwaza complex which were influenced by Persian aesthetics to the Juma Masjid on the other end inspired from the Mughal era Jama Masjid in Delhi. The Clock Tower, credited for being one of the highest clock towers in India is an element of the British times whereas Satkhanda and Picture Gallery denote a time in Lucknow's history which drew significant influence from the western part of the world. Together, the Husainabad complex is an ensemble of iconic architectural marvels which give Lucknow its unique skyline.

The Picture Gallery along with the other monuments in the complex lie in close vicinity to the banks of river Gomti and although the connection with the river bank is now difficult to establish due to the high bandha road, historical connection to the river might have been very strong.

6.2 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The piece of land between the Durgadevi road and the Kudiya Ghat bandha road is a crucial piece of land currently in the process of development. It is essential to regulate the development in this land as it forms the backdrop of the views from the Picture Gallery and the connection between the Gomti river in the east to the precinct of the monument as a strong physical connection as may have been historically. Inesitive residential developments have strated to come up in this land, blocking the view from the Picture Gallery. Temporary settlements and encroachments, blocked by tin sheds may be seen along the Durga Devi Road. (as seen in archival maps) (refer image 6.15, 6.16 and 6.17)

The growing pressure is also evident in the exponential rise of mid-rise multi-dwelling units in the historic urban settlement of Shish Mahal to the west of monument. Since there is no formal plotting and the houses are a result of reconstruction on old properties divided through generations, there is lack of quality of spaces, roads and other infrastructure services. Regulations like restriction in height of new constructions is crucial to regulate amd respect the skyline formed by and from the monuments in the vicinity.

The development of the commercial trail along the Husainabad road, to the south of the monument should be maintained and regulated to respect the heritage character of the area. Some shops are encroaching into the footpath which not only impacts the streetscape but also

hinders the experience of the pedestrians. Incongruous and insensitive additions in the heritage structures like the Satkhanda police chowki (refer image 6.9) in the Husainabad Gate not only poorly affects the visual integrity of the heritage structures but also harms the structural stability of the gates.

6.3 Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

The monument is clearly visible from the Prohibited and Regulated Areas in the south, south-west and south-east. The skyline from the monument in the south-east to south-west has changed significantly over the years, as visible when compared from archival photographs, however, has fairly maintained the historic character. On the north-east direction from the monument, the vast expanse backdrop has been compromised due to the construction of few residential buildings. (Refer **Annexure V**)

6.4 Land-use to be identified:

According to the Lucknow Master Plan 2031 the land-use of the Picture Gallery precinct and some portions of the Shish Mahal colony (on the north-west of the monument) fall under the category of 'Places of Historical and Cultural Significance'. The land-use of the eclectic sub-station is marked as 'Power station' and the patch of land beyond the Kudiya Ghat bandha road along the river is marked as 'Park and Open Spaces'. The other portions of the Shish Mahal colony in the west direction of the Regulated Area is designated 'Residential' land-use.

6.5 Archaeological heritage remains other than the protected monument:

There are no archaeological heritage remains known as of now in the vicinity of the monument. However, the site may have archaeological remains buried in the layers of earth which may be subject to further research and excavations. Hence, any construction in the surrounding area should be carried out with utmost care and supervision of ASI.

6.6 Cultural Landscapes:

The monument is part of a larger cultural landscape consisting of several historical monuments built by the Nawabs of Awadh in the context and setting of River Gomti as seen in archival maps. These monuments had strong linkages to the social, cultural and architectural history of the city of Lucknow. This linkage of the monuments with the setting of the river has been altered and hampered over the years.

In the present context, a new cultural space has emerged in the Picture Gallery-Clock Tower precinct which comprises of newly designed public parks and plazas. It has become a vibrant public square which witnesses large footfall of people and public gathering from all across the city. It has boosted a sense of belongingness amongst the locals and has become part of a contemporary cultural fabric of the city.

6.7 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting monument from environmental pollution:

Picture Gallery is located in close proximity to River Gomti on the east. Although there is no clear visibility or setting of the river along the precinct of Picture Gallery or with the Hussainabad Complex on the whole but as seen in archival maps. It is established that there was a strong connection of the river as a setting of these monuments. This connection may be established again through future proposals.

6.8 Usage of open space and constructions:

There are several open pockets of land around the Picture Gallery which must be maintained as open land in the future proposals and plans to maintain the context and setting of these monuments. The empty patch of land between Durga Devi road and river Gomti is vulnerable to encroachments and illegal constructions. The development in these areas must be kept in check and any proposal that hampers the visual setting and integrity of the monuments must not be allowed to be constructed.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

The monument as its name suggests is a Picture Gallery and visited by many tourists on a daily basis. The plaza in the precinct of the Picture Gallery and Clock Tower has in recent times emerged into a major public gathering space with cultural and other social events frequently being held.

6.10 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The skyline as viewed from the monument towards the Husainabad Trust road shows an urban skyline dotted with historical landmarks. Annexure V shows comparative images of the skyline through archival and present photos.

6.11 Traditional architecture:

The remains of the erstwhile Shish Mahal palace still exist in what is now known as the Shish Mahal area in the north-west of the Picture Gallery (refer image 6.5 and 6.6). Other than that, some dilapidated lakhori brick structures can be seen from the Picture Gallery towards the north-west.

6.12 Developmental plan as available by the local authorities:

It may be seen at Annexure IV. Detailed Zonal Development Plans of the individual regulation zones are yet to be prepared by the Authorities.

6.13 Building related parameters:

The monument Picture Gallery is located in close vicinity with four other Centrally Protected Monuments of Hussainabad Heritage Complex, hence, the Prohibited and Regulated boundaries of Picture Gallery overlap with the buffer zones of Hussainabad Imambara in the south-west and the Cemetery at Fort Machhi Bhawan on its south-east. Considering the same, the Heritage Bye-laws have been framed as per the zones developed from overlapping of the boundaries. (refer figure 6)

This document should be read in conjunction with the heritage bye-laws of other monuments in the cluster.




Figure 5: Image showing the Proposed Zones in the Regulated Area of the Picture Gallery




Figure 6: Map showing the Proposed Zones

I. Zone 1 - Prohibited Area:

As per AMASR Act, no new construction shall be permissible within the 100 m radius of the Centrally Protected Monument.

Repair and Renovation:

Internal changes and adaptive reuse may be generally allowed, however, external changes shall be subject to scrutiny/NOC from the National Monuments Authority. Changes may include retrofitting/renovation that may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been affected by any natural calamity and renovation is absolutely necessary.

Original building vocabulary and layout along with built/open relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permitted, subject to NOC from the Competent Authority.

The repair and renovation in structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the surrounding areas. New cladding materials like ACP, HPL, laminates, tiling etc or glazing will not be permitted.

Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of AMASR Act, 1958, Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C(2) of the AMASR Act, 1958 and Rule 6(IV) and Rule 7 of AMASR Rules, 2011. In case of natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of the AMASR Rule, 2011. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates, etc. is not permitted. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the surrounding area.

II. Zone 2 – Regulated Area I:

- a) Height of the construction (including rooftop structures like mumty, parapet, etc.):** The overall height limit for new development or additions to existing buildings shall not exceed **10.5 m** (inclusive of the parapet, mumty or any other services on the roof).
- b) Usage:** The majorly residential character with some commercial and mixed-use activities should be maintained in the future.
- c) Building material and Façade design:** Elevation should be subtle and in-line with the heritage structures. Modern construction materials may be used but the external façade should not be clad with materials like ACP, HPL, laminates, tiling, etc or glazing will not be permitted.
 - The exterior can be of a neutral tone in harmony with the monuments such as beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the monument.

d) Other Regulations:

- Construction of basement will not be permitted.

III. Zone 3 – Regulated Area II:

The regulations for this Zone to be referred in the Bye-laws of the Cemetery near Machhi Bhawan and Asafi Imambara (Bada Imambara) and Rumi Darwaza Complex.

IV. Zone 4 – Special Regulated Zone:

The pocket of land enclosed between the Durga Devi road in the west, Kudiya ghat road on the east and Husainabad Road on the south. This pocket of land is of high significance and hence the development must be regulated.

- Usage:** As per the land-use defined in Lucknow Master Plan 2031, this area is designated as “Places of Historical and Cultural Significance”. Therefore, no residential and commercial activities shall be permitted in this area. However, construction of public amenities such as museums, haats, exhibition spaces, interpretation center, souvenir shops, cafeteria, ticket counters, toilets, drinking water facility, open parking and other such amenities may be allowed subject to condition that the work is executed under the supervision of ASI.
- Height of the construction (including rooftop structures like mummy, parapet, etc.):** The overall height limit for new development or additions to existing buildings shall not exceed **7.5 m** (all inclusive).
- Roof Design:** Only flat roof design shall be followed. No structure can be built on the roof of buildings using temporary materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials.
- Building Material and Façade Design:** Elevation should be subtle and in-line with the heritage structures. Modern construction materials may be used but the external façade should not be clad with materials like ACP, HPL, laminates, tiling, etc or glazing will not be permitted.
- Color:** The exterior can be of a neutral tone in harmony with the monuments such as beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the monument.
- Other Regulations:**
 - Construction of basement will not be permitted.
 - Stilt parking or multi-level parkings will not be permitted.

V. Zone 5 – Riverfront:

The area is demarcated by the green patch and Ghat along the river Gomti marked by the Kudiya ghat road on the west.

- No construction shall be allowed in the areas designated as green and open spaces.
- The spaces may be designed as parks and river fronts with landscape design, public plazas and squares, amphitheatre may be developed.

- Provision of streetlights, benches, signages, open parking, toilets and drinking water may be allowed.
- The future design proposals and interventions should be in harmony with the heritage character of the area and should not detract from or dominate the heritage character.

VI. Zone 6 – Historic Corridor:

The buildings along the interface of the Hussainabad Road, Imambara Road and Durga Devi Road (as marked in the map) form an important element in the entire heritage character of the area and contribute in defining and enhancing the views and vistas from and of the monuments. Therefore, the following regulations must be followed:

- a) Façade Design:** Subtle and simple with plain and minimal designs. The building design should not detract from or dominate the existing heritage character of the surrounding.
 - Glossy finishes and materials like tiles, ACP, HPL etc., are not considered characteristic of the heritage area and should be avoided.
 - No window air conditioning units to be installed on the front facades facing the corridor.
 - Wires and pipes (rain water, waste water, etc) should be concealed and not disrupt the visual harmony of the surrounding.
- b) Roof Design:** Only flat roof design shall be followed. No structure can be built on the roof of buildings using temporary materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials.
- c) Color:** The exterior can be of a neutral tone in harmony with the monuments such as beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the monument.
- d) Streetscape:** The continuity of façades is an important element in the streetscape and should be retained in any new development.
 - The front building edge shall strictly follow the existing street line. No encroachment beyond the building line shall be acceptable.
 - A common size and design template may be adopted (as per recommendations of the Local Authorities) for the standardisation of retail signages of the shops.

VII. Zone 7: Hospital:

The regulations for this Zone to be referred in the Bye-laws of the Asafi Imambara (Bada Imambara) and Rumi Darwaza Complex.

Other Regulations:

- Proposal for construction of any large scale public infrastructure project like Metro (underground or overhead), foot-over bridges, flyover, multi-level parking or any such project shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Toilets and drinking water facilities are available near the monument in the Picture Gallery precinct. Signages and street furniture like benches are also available. Ramp for differently abled and braille should be made available at the site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

- Site may also have descriptive plaques based on authentic historical narrative.
- All signs within the historic precinct should be compatible and harmonious with the special character of the monument and its surroundings.
- The installation of signages should not damage the historic fabric, nor diminish the historic character of the monument.
- No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Regular upkeep and maintenance of the monument to protect it from any structural damage.
- The paintings and other displayed artifacts in the Picture Gallery should be better maintained.


7.2 Other Recommendations:

- The jurisdiction and the boundaries of the heritage zone may be integrated into the local area plan that is prepared and implemented by the Lucknow Development Authority as the local area plan provides a single window framework for implementation of regulations of the Master plan as well as heritage regulations. Layout plans with urban design guidelines may also be included at the local area plan level.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- More indigenous/local dense canopy of trees should be planted along the modern boundary of the protected monument to elevate the buffer from the existing urbanisation around the monument.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at <https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf>

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक – I
ANNEXURE-I

फोटो गैलरी, हुसैनाबाद बारादरी, लखनऊ का सर्वेक्षण प्लान
Survey Plan of Picture Gallery Husainabad Baradari –Lucknow



फोटो गैलरी, हुसैनाबाद, लखनऊ की अधिसूचना
Notification of Picture Gallery Husainabad Baradari, Lucknow

Original Notification


Government of United Provinces .
Public Works Department
Buildings and Roads Branch

Dated Allahabad, the 22nd December, 1920

No. 1645-M/1133.- In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1412M, dated the 18th November, 1920, published at pages 1851-1885 of Part I of the United Provinces Gazette, dated the 20th November, 1920, so far as it relates to the undermentioned monuments and to direct that the protection of the remaining monuments is not confirmed as they are either already protected monuments or their protection is not considered necessary.

By order,
A.C. Verrières,
Secretary to Government, United Provinces.

Sl. No.	Name of Monuments.	Situation			Bounded by-			
		District.	Locality.	Village. Tahsil	East.	West.	North.	South
1.	A large obelisk of red sandstone	Bareilly	Twelve miles west of Bareilly City	Fatchganj Bareilly
2.	Tomb of Hafiz-ul-mulk Rahmat Khan the Ronilla Chief	Do	A short distance south-west of the Bareilly City
3.	Subaiya, an enclosure without any trace of tombs	Do	On Agra and Bhitaura 2nd class local road
4.	Beharipur, an enclosure without any trace of tomb	Do	On Muttra-Kasganj and Bareilly Provincial road
5.	Closed Cemetery	Do	Near Police outpost Chauraha, Bareilly
6.	The Begum's Masjid of 3 lofty domes	Do	In Tahsil Amla, 17 miles South-west of Bareilly


 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
 लखनऊ, भारत के संरक्षक कार्यालय
 लखनऊ-३-लखनऊ-226018

Sl. No.	Name of Monuments	Situation	
		District.	Locality.
26.	Two cemeteries	Lucknow	On the La Martiniere road.
27.	Cemetery	Do.	In Vilayati Bagh.
28.	Three tombs	Do.	In miles 3, 4 and 5, Lucknow-Fyzabad road.
29.	Tomb	Do.	In Musabagh
30.	Do	Do.	In Lotan Bagh.
31.	Cemetery	Do.	In Dilkusha.
32.	Kulan-ki-La't and adjoining Cemetery	Do.	In Faqir Mohammad Khan ka Hata.
33.	Cemetery	Do.	At mile 13, Lucknow-Cawnpore road.
34.	Do.	Do.	Near Vilayati Bagh, Lucknow.
35.	Do.	Do.	Near Fort Machhi Bhawan.
36.	Cemeteries	Do.	Near Kaisar Pasand.
37.	Kaisarbagh Gates.	Do.	In Kaisarbagh.
38.	Chhota Chhattar Manzil	Do.	Lucknow city.
39.	Gulistan-Eram or Kothi Indrasan.	Do.	Ditto.
40.	Ferhat Bakhsh Station Library	Do.	Ditto.
41.	General Wali Kothi	Do.	Ditto.
	Sikcha Wali Kothi	Do.	Ditto.
42.	Chambara Amin-Daulah	Do.	Ditto.
44.	Begam's Kothi	Do.	Ditto.
45.	Darshan Bilas Palace.	Do.	Ditto.
	The Buildings north-west of Dilkusha Palace.	Do.	Dilkusha.
	Arul Shafa	Do.	Lucknow city.
	Chambara Ghulam Khan.	Do.	Ditto.
	Kasul	Do.	Ditto.
	Picture Gallery	Do.	(एस हुसैनबाद)
	Husainabad		
	Baradari		

(एस हुसैनबाद)
 भारतीय पुरातत्व विभाग
 नक्सल मंडल विकास प्राई कार्ड
 श्रीलालपुर-लखनऊ-226011

Typed copy of Original Notification

Government of United Provinces.
Public Works Department
Buildings and Roads Branch

Dated Allahabad, the 22nd December. 1920

No. 1645-M/1133. - In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII or 1904), His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1412M, dated the 18th November, 1920, published at pages 1851-1885 of Part I of the United Provinces Gazette, dated the 20th November, 1920, so far as it relates to the undermentioned monuments and to direct, that the protection of the remaining monuments is not confirmed as they are either already protected monuments or their protection is not considered necessary.

By-order,
A.C. Verrieres,
Secretary to Government, United Provinces.

Sr. No.	Name of Monuments	District	Locality	Situation		Bounded by			
				Village	Tahsil	East	West	North	South
1.	A large obelisk of red sandstone	Bareilly	Twelve miles west of Bareilly City	Fatehganj west of Bhitaura village	Bareilly
2.	Tomb of Hafiz-ul-mulk Rahmat Khan the Rohilla Chief	Do	A short - distance south-west of the Bareilly city
3.	Sutaiya, an enclosure without any trace of tombs	Do	On Agra and Bhitaura 2nd class local road
4.	Beharipur, an enclosure without any trace of tomb	Do	On Muttra-Kasganj and Bareilly Provincial road
5.	Closed Cemetery	Do	Near police outpost Chauraha, Bareilly
6.	The Begum's Masjid of 3 loft domes	Do	In Tahsil Amla, 17 South-west of Bareilly

Sr. No.	Name of Monuments	Situation	
		District	Locality
26.	Two cemeteries	Lucknow	On the La Martiniere road
27.	Cemetery	Do	In VilayatiBagh
28.	Three tombs	Do	In miles 3, 4 and 5, Lucknow- Fyzabad road
29.	Tomb	Do	In Musabagh
30.	Tomb	Do	In LotanBagh
31.	Cemetery	Do	In Dilkusha
32.	Kalan-ki-Lat and adjoining Cemetery	Do	In Faqirmohammad khan kahata
33.	Cemetery	Do	At mile 13, LucknowCawnpore road
34.	Do	Do	Near VilayatiBagh, Lucknow
35.	Do	Do	Near Fort MachhiBhawan
36.	Cemeteries	Do	Near KaisarPasand
37.	Kaisarbagh Gates	Do	In Kaisarbagh
38.	ChhataChhattarManzil	Do	Lucknow city.
39.	Gulistan- Bram or KothiIndrasan	Do	Ditto.
40.	Farhat, :.Bakhsh Station Library	Do	Ditto.
41.	General walikothi	Do	Ditto.
42.	Slkehewalikothi	Do	Ditto.
43.	Khambara Amin-ul-Daulah	Do	Ditto.
44.	Begem'skothi	Do	Ditto.
45.	Darshan Bilas palace	Do	Ditto.
46.	The Buildings north-west of Dilkusha Palace.	Do	Kilkusha
	DarulShafa	Do	Lucknow city
	Imam Bara Ghulam khan	Do	Ditto.
	Rasul	Do	Ditto.
	Picture Gallery Husainabad Baradari	Do	Husainabad


लखनऊ महायोजना 2031

फोटो गैलरी, लखनऊ की स्थल योजना दर्शानेवाला अभिलेखीय मानचित्र
Archival Map showing the Site Plan of Picture Gallery, Lucknow



लखनऊ महायोजना 2031


फोटो गैलरी, लखनऊ की ऊंचाई दशनि वाला अभिलेखीय चित्र
Archival Drawing showing the Elevation of Picture Gallery, Lucknow



लखनऊ महायोजना 2031 - विनियमन क्षेत्र
Lucknow Master Plan 2031 - Regulation Zones




लखनऊ महायोजना 2031 - विरासत क्षेत्र
Lucknow Master Plan 2031 - Heritage Zones




अनुलग्नक- IV (घ)
ANNEXURE-IV (d)

हुसैनबाद विरासत क्षेत्र के साथ लखनऊ मास्टर योजना का भूमि उपयोग मानचित्र
Land-use Map of Lucknow Master Plan 2031 overlaid with the Husainabad Heritage Zone


Land-use Map of Lucknow Masterplan 2031 overlaid with the Hussainabad Heritage Zone (as per Lucknow Masterplan 2031)



विगत समय में और वर्तमान में स्मारक से विचारों के तुलनात्मक चित्र
Comparitive Images of the views from the Monument in the Past and Present



A view of Husainabad, Lucknow, India, circa 1870.
Source: Photo by John Edward Saché/Hulton Archive/Getty Images)



View from the Arcade of the Picture Gallery over Ghantaghar Talaab of Hussainabad Imambara (1837)
Source: Alamy Stock Photos



Distant view of the Bada Imambara Complex, Lucknow circa 1862.
Source: Photographer: Charles Shepherd and Arthur Robertson/alamy stock photos



A view of Husainabad, Lucknow, India, circa 1865.
Source: Vintage albumen print. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

स्मारक और इसके निकटवर्ती क्षेत्र के चित्र
Images of the Monument and its surroundings



6.1: उत्तर से स्मारक का चित्र
6.1: Image of the Monument from the North



6.2: हुसैनबाद से स्मारक का चित्र
6.2: Image of the Monument from the Hussainabad Tank



6.3: फोटो गैलरी से हुसैनबाद टैंक का चित्र
6.3: Image of the Hussainabad Tank from the Picture Gallery



6.4: फोटो गैलरी और घंटाघर का चित्र
6.4: Image of the Picture Gallery and Clock Tower



6.5: जीर्ण शीर्ण शीश महल का चित्र
6.5: Image of the dilapidated Shish Mahal palace



6.6: जीर्ण शीर्ण शीश महल का चित्र
6.6: Image of the dilapidated Shish Mahal palace



6.7: शीश महल कालोनी का चित्र
6.7: Image of the Shish Mahal colony



6.8: शीश महल कालोनी का चित्र
6.8: Image of the Shish Mahal colony



6.9: हुसैनबाद दरवाजे और पुलिस चौकी का चित्र
6.9 Image of the Hussainabad Gate and the Police chowki



6.10: शीश महल टैंक का चित्र
6.10 Image of the Shish Mahal Tank



6.11: हुसैनबाद रोड के साथ दुकानों का चित्र
6.11 Image of the shops along the Hussainabad Road



6.12 हुसैनबाद रोड के साथ दुकानों का चित्र
6.12 Image of the shops along the Hussainabad Road



6.13: हुसैनबाद रोड के साथ खुली भूमि का चित्र
6.13 Image of the open land along the Hussainabad Road



6.14: निर्माणाधीन संग्रहालय और फूडकोर्ट ब्लॉक का चित्र
6.14: Image of the under-construction Museum and Food Court Block



6.15: घंटाघर पार्क से दिखाई देने वाले नए आवासीय निर्माण का चित्र

6.15 Image of the new residential constructions as seen from the Ghanta ghar park



6.16: कुदिया घाट रोड से अस्थायी बस्तियों दशाने वाले घंटाघर और सतखंडा का चित्र

6.16 Image of the Clock Tower and Satkhanda showing the temporary settlements from the Kudiya Ghat road



6.17: कुदिया घाट रोड से घंटाघर और निर्माणाधीन फूडकोर्ट और संग्रहालय का चित्र

6.17: Image of the Clock Tower and the uner-construction Food Court and Museum from the Kudiya Ghat Road



6.18: फोटो गैलरी के समीप शौचालय ब्लॉक का चित्र

6.18 Image of the Toilet blocks in the Picture Gallery precinct